संशोधित नवीन

कोटा शहर मुख्यालय पर पदस्थापित राजकीय कार्मिको के राजकीय आवास गृह आवंटन हेतु आवेदन पत्र

प्रेषिति:–

श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय,
कोटा संभाग, कोटा

महोदय,

मै कोटा शहर मुख्यालय पर पदस्थापित होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग का राजकीय आवास गृह आवंटन करवाना चाहता हूँ। मैं राजस्थान सरकार के अधीन ....कार्यालय में ....पद पर कार्यरत हूँ। मैं मकान किराया भत्ता शहरी क्षेत्र के हिसाब से प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा विवरण निम्नानुसार है–

1	कार्मिक का नाम	
2	पिता /पति का नाम	
3	कार्मिक का पदनाम	
4	कार्मिक की **Employee ID number**	
5	मूल पदस्थापन कार्यालय का पूरा नाम तथा मुख्यालय (पदस्थापन आदेश की प्रति सलंग्न करें)	
6	यदि कार्मिक किन्ही कारणो से उक्त कार्यालय में कार्यरत नही हैं तो कार्यालय का नाम जहॉ पर कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कब से कार्यरत हैं तथा कार्यरत होने का कारण का उल्लेख करे। (आदेश की प्रति सलंग्न करें)	
7	रनिंग पे0बैंण्ड श्रृंखला	
8	ग्रेड पे. (वेतन पे स्लिप भी सलंग्न करे।)	
9	मूल वेतन	
10	कोटा मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा कार्यालय का नाम जहां से स्थानान्तरित होकर कोटा में पदस्थापित हुए हैं।	
11	जन्म तिथि	
12	सेवानिवृत्ति दिनांक	
13	परिवार में व्यस्कों तथा बालकों की संख्या तथा सम्बन्ध	
14	कोटा शहर में स्वयं के अतिरिक्त परिवार में राजकीय सेवा करने वाले सदस्यो की संख्या , उनके नाम व कार्यालय जहां पर पदस्थापित है का नाम	
15	क्या कोटा शहर में आपके या आपके परिवार के अन्य सदस्यो के नाम से निजी भवन सम्पदा हैं। हॉं या नही। यदि हॉं तो विवरण देवें।	
16	क्या आपने अथवा आपके परिवार ने कोटा शहर में भवन निर्माण हेतु ऋण लिया है ? हॉं/नहीं। यदि हॉं तो कब? ऋण की अन्तिम किश्त की भुगतान की तिथि लिखें।	
17	क्या आपके अथवा आपके परिवार के अन्य सदस्यो को नगर विकास न्यास/मण्डल/निगम द्वारा कोटा मे मकान आवंटित किया गया हैं? हॉं या नही। यदि हॉं तो कब?	
18	क्या कोटा शहर में आपके पति/पत्नी राजकी. आवास गृह में निवास कर रहे हैं? हॉं या नही। यदि हॉं तो विवरण दे– 1 आवंटी का नाम,पद व कार्यालय का नाम तथा संबंध 2 विभाग का नाम जिसका आवास गृह आवंटित हैं। 3 आवास गृह संख्या,श्रेणी व कॉलोनी का नाम	
19	क्या आपके विभाग के स्वयं के राजकीय आवास हैं ? हॉं या नही। यदि हॉं तो क्या आप द्वारा अपने विभाग के राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं? लिखे(प्रमाण पत्र सलंग्न हैं)	
20	क्या आप वर्तमान में कोटा शहर में स्थित जी.ए.डी.के राजकीय आवास गृह के अतिरिक्त अन्य विभाग के राजकीय आवास गृह में निवास कर रहे है। हॉं या नही। यदि हॉं तो विभाग का नाम जिसका आवास गृह आवंटित हैं, आवंटित आवास गृह संख्या,श्रेणी व कॉलोनी का नाम तथा आवंटन करने वाले विभाग/ कार्यालय का नाम लिखे।	
21	क्या पूर्व में इस कार्यालय में राजकीय आवास गृह आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं अथवा इस कार्यालय द्वारा आवास गृह आवंटित हुआ है ? हॉं या नही। यदि हॉं तो विवरण दे। 1 आवेदन की दिनांक– 2 आवंटित आवास संख्या– 3 आवास की श्रेणी व कॉलोनी का नाम 4 आवास पर कब्जा दिनांक– 5 आवास रिक्त करने की दिनांक 6 आवास आवंटन के समय कार्मिक का धारित पद तथा पदस्थापन कार्यालय का नाम – 7 प्रतिनियुक्ति होने पर कार्यालय का नाम जहॉ कार्यरत रहे तथा अवधि–	
22	अन्य विवरण	

नोटः– उक्त कॉलमो कम संख्या 1 से 21 में अंकित बिन्दुओ की पूर्ति करना अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

घोषणा

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी...पद.....................कार्यालय.....................
....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एक राजकीय कर्मचारी हूँ। मैं कोटा शहर मुख्यालय पर पदस्थापित हूँ। मेरे स्वयं के/पत्नी के/पुत्र के /पुत्री के कोटा शहर में कोई निजी आवास गृह भवन/मकान /फार्म हाउस नही हैं और न ही मैनें अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भवन निर्माण/खरीद हेतु राज्य सरकार अथवा अन्य संस्था से ऋण प्राप्त किया है। मैं निम्न शर्तो की पालना करने को भी सहमत हूँ-

1 मै.आवास गृह आवंटन की तिथि से 8 दिन के अन्दर आवास गृह पर कब्जा ले लूँगा/ले लूँगी।

2 मैं आवंटित आवास गृह को यथास्थिति में लेने को सहमत हूँ। आवंटित आवास गृह पर कब्जा नही लेने की स्थिति में नियमानुसार आवंटन के पश्चात् आगामी छः माह तक का मकान किराया भत्ता रूकवाने को सहमत हूँ ।

3 मैं आवेदन के पश्चात् यदि मेरे पदस्थापन के स्थान में परिवर्तन होता हैं तो मै इसकी सूचना तुरन्त दूँगा/दूँगी।

4 मैने मेरे सेवाकाल में किसी भी राजकीय आवास गृह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निवास नही किया हैं तथा मुझ पर किसी भी राजकीय आवास का मकान किराया या अन्य देनदारी देय (ड्यू) नही हैं।

5 मैं राज्य सरकार/संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशो की पालना करूँगा/करूँगी।

6 मैं अथवा मुझ पर आश्रित परिवार के सदस्य वर्तमान में किसी भी राजकीय आवास गृह में निवास नही कर रहे हैं।

7 मैं राज्य सरकार/संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो की पालना करूँगा/करूँगी

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र के विवरण उक्त बिन्दु संख्या 1 से 21 तक में दी गई सूचना पूर्ण रूप से सत्य हैं। मेरे द्वारा किसी प्रकार का तथ्य/सूचना नही छिपाई गई हैं।

कार्मिक का पूर्ण स्थाई पता

....

कार्मिक के हस्ताक्षर

दूरभाष नम्बर ....

मोबाईल नम्बर ....

वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता

....

कार्यालय...

क्रमांक / दिनांक

प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती ....पद ....द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित सूचना /तथ्यो की जॉच अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा कर ली गई है तथा रिकार्ड के अनुसार सही हैं। कार्मिक को रंनिगं पे बैण्ड .... व ग्रेड पे रू0............................ दिनांक ....से स्वीकृत हैं। कार्मिक वर्तमान में कार्यालय ....में दिनांक.........................से कार्यरत है। उक्त कार्मिक राजस्थान सरकार के अधीन एक राजकीय कर्मचारी हैं जिसका पदस्थापन कोटा शहर मुख्यालय पर है (पदस्थापन के आदेश की प्रति सलंग्न हैं।) कार्मिक कोटा शहर की सीमा से बाहर प्रतिनियुक्त/कार्यरत नही हैं तथा कार्मिक वर्तमान मे किसी निगम /मण्डल मे पदस्थापित /कार्यरत नही हैं। कार्मिक का वेतन कार्यालय ....द्वारा ही आहरित किया जा रहा हैं। उक्त कार्मिक का पदस्थापन कोटा शहर मुख्यालय पर होने के कारण कार्मिक को मकान किराया भत्ता शहरी क्षेत्र के हिसाब से मिल रहा हैं। कार्मिक को आवास गृह आवंटन होने की स्थिति में नियमानुसार वेतन से आवास गृह किराया कटौती **(H&FR)** की जाकर मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया जायेगा तथा पे मेनेजर के मास्टर डाटा में कार्मिक के आवंटित आवास गृह का विवरण निर्देशानुसार दर्ज कर दिया जावेगा तथा इसकी सूचना संभागीय आयुक्त कार्यालय तथा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड कोटा को निर्धारित प्रपत्र-2 में प्रेषित कर दी जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग राज0जयपुर के परिपत्र कमांक एफ. 4(19) सा.प्र./(क)/65 दिनांक 20.06.1966 के कम मे निहित कर्तव्यो की पालना में कार्मिक का स्थानान्तरण /सेवानिवृत्त /मृत्यु होने पर इसकी सूचना कार्यमुक्ति के आदेश की प्रति सहित संभागीय आयुक्त कार्यालय तथा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड कोटा भी तत्काल प्रेषित कर दी जावेगी तथा साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग राज0जयपुर के परिपत्र कमांक एफ.1(16) सा.प्र./ ।।/77 दिनांक मार्च,1977 के कम में कार्मिक का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति हो जाने की स्थिति में कार्मिक का गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (एल.पी.सी)/ पेंशन स्वीकृति इत्यादि जारी नही की जावेगी जब तक अधिशाषी अभियतां सानिवि नगर खण्ड कोटा से आवंटित आवास गृह का किराया बकाया नही होने तथा भवन रिक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाये। तत्पश्चात् गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति भी यथासमय भिजवा दी जायेगी। इस आवेदन की एक प्रति तथा सम्बन्धित रिकॉर्ड इस कार्यालय में सुरक्षित रख लिया गया हैं। अतः उक्त कार्मिक का आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।

इस विभाग के राजकीय आवास होने अथवा नही होने के संबंध में प्रमाण पत्र सलंग्न हैं।

हस्ताक्षर करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष /नियंत्रण अधिकारी का नाम -...

पदनाम -..

दूरभाष नम्बर -...................................

मोबाईल नम्बर -..................................

कार्यालय की ईमेल आईडी...............

हस्ताक्षर मय सील

विभाग के राजकीय आवास उपलब्ध होने की स्थिति में

कार्यालय का नाम..................................

कमांक / दिनांक

—: अनुपलब्धता प्रमाण पत्र :—

इस कार्यालय में कार्यरत श्री.. पुत्र श्री.............................. पद .... द्वारा कोटा स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के राजकीय आवास आवंटन हेतु आपके कार्यालय में आवेदन किया जा रहा हैं। इस संबंध में निम्न तथ्य प्रमाणित किये जाते हैं—

1. यह कि कोटा शहर में इस विभाग के राजकीय आवास स्थित हैं।
2. प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में इस विभाग के राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं किन्तु इस विभाग के राजकीय आवासो में प्रार्थी की पात्रतानुसार वर्तमान में कोई राजकीय आवास रिक्त नही हैं।
3. इस विभाग के राजकीय आवासो में कोई भी कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग के नियमान्तर्गत अनाधिकृत रूप से निवासरत नही हैं।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
कार्यालय की मोहर

विभाग के राजकीय आवास उपलब्ध नही होने की स्थिति में

कार्यालय का नाम..................................

कमांक / दिनांक

—:प्रमाण पत्रः—

इस कार्यालय में कार्यरत श्री.. पुत्र श्री....................................पद ....द्वारा कोटा स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के राजकीय आवास आवंटन हेतु आपके कार्यालय में आवेदन किया जा रहा हैं। इस संबंध में निम्न तथ्य प्रमाणित किये जाते हैं—

प्रमाणित किया जाता हैं कि कोटा शहर में इस विभाग के राजकीय आवास स्थित नही हैं।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
कार्यालय की मोहर